न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /2017 निगरानी
III/निगरानी/अशोकनगर/भू-रा/2017/2183

महेन्द्रसिंह पुत्र श्री शिवराजसिंह जाति ठाकूर, निवासी बस स्टेण्ड मुंगावली, तहसील मुंगावली, जिला अशोकनगर (म0प्र0)
—— आवेदक

श्री .... द्वारा आज दि. 12/7/17 को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट 12-7-17
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

बनाम

1. निरंजन पुत्र श्री परमा,
2. विद्याबाई पत्नी श्री परमा,
3. नीतेश पुत्र श्री परमा,
4. जीतेन्द्र पुत्र श्री परमा,
5. परमा पुत्र श्री लम्पू, समस्त जाति सुनार समस्त निवासीगण खिरियाकला, तहसील मुंगावली, जिला अशोकनगर (म0प्र0)

—— अनावेदकगण

12/7/17

निगरानी आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता विरूद्ध आदेश दिनांक 15.06.2017 द्वारा पारित अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मुंगावली के प्रकरण क्रमांक 154बी–121/2016–17 के विरूद्ध।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से निगरानी आवेदन पत्र निम्न प्रकार प्रस्तुत है:–

<u>प्रकरण के संक्षिप्त तथ्यः–</u>

1. यहकि, ग्राम खिरियाकला, तहसील मुंगावली, जिला अशोकनगर स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 35 रकवा 0.094 हैक्टेयर, भूमिस्वामी एवं आधिपत्यधारी आवेदक है एवं सर्वे क्रमांक 31 रकवा 0.585 हैक्टेयर राजस्व रिकॉर्ड में शासकीय आबासी दर्ज है, किन्तु उक्त सर्वे नम्बर

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक तीन / निगरानी / अशोकनगर / भू.रा. / 2017 / 2183

महेन्द्र सिंह विरूद्ध निरंजन आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
27–06–2019	प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक द्वारा यह निगरानी तहसीलदार मुंगावती, जिला–अशोकनगर के प्रकरण क्रमांक 154 / बी–121 / 2016–17 में पारित आदेश दिनांक 15–06–2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25–9–2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला–अशोकनगर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 13–08–2019 को कलेक्टर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (आर0के0 जैन) सदस्य	